



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19265/2026

सोनिया

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

..... विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

विपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या-5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम प्रकाश गुप्ता और राज्य- प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री ओ.पी. सिंह को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 47 सन् 2026 में, बी.एन.एस. की धारा 80(2), 85, 115(2), 3(5) और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, पुलिस थाना कोतवाली मंडी, जिला सहारनपुर में विचारण की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह मृतका की सास है। यह भी बताया गया है कि मृतका ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या की, आवेदक, उसके पति और ससुर उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले गए, जो मृतका के इलाज के दौरान डॉक्टर के बयान से स्पष्ट है। यह भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



बताया गया है कि घटना 2 फरवरी 2026 को घटी थी, मृतका की मृत्यु 4 फरवरी 2026 को हुई, मृत्यु समीक्षा 4 फरवरी 2026 को हुई, जबकि प्रथम इतला रिपोर्ट 5 फरवरी 2026 को दर्ज की गई। यह भी बताया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों पर दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने और परेशान करने का सामान्य आरोप लगाया गया है। यह भी बताया गया है कि सह-अभियुक्त राहुल, जो मृतका का पति है, मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही के दौरान उपस्थित था। आवेदक 22.03.2026 से कारागार में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह वचन देती है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि मृतका की मृत्यु सह-अभियुक्त राहुल से विवाह के लगभग एक वर्ष बाद हुई थी और आवेदक मृतका की सास हैं। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका है और शव के आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखा गया है तथा मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है।

5. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

6. उपर्युक्त मामले में आवेदक **सोनिया** को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन दिनांकों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) सुनवाई की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित हैं।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित दिनांकों पर अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित दिनांक पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात का उद्देश्य केवल जमानत आवेदन के निर्धारण इस तक सीमित है और इस को किसी भी तरह से मामले की गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

3 जून, 2026

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।